मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः एमएमआरसीएल, ट्रांसिट कार्यालय 'इ'– ब्लॉक, सिटी पार्क के उत्तर की ओर,
आयकर कार्यालय 'ए' विंग के पीछे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051

सार्वजनिक सूचनापत्र

मुंबई मेट्रो रेल कोर्पोरेशन (मेट्रो रेल प्रशासन) द्वारा, 'मुंबई मेट्रो लाइन 3' परियोजना को कार्यान्वित कर रहा हैं। मेट्रो रेल (कार्य निर्माण) अधिनियम, 1978 के तहत, मेट्रो रेल प्रशासन को मेट्रो संरेखण के साथ या उस पर विभिन्न विकासों को नियमित करने का प्रावधान प्रदान किया गया हैं।

'मुंबई मेट्रो लाईन – 3' की लगभग 6.35 मीटर व्यास कि दो (2) सुरंगें, लगभग 20–22 मीटर की दूरी पर एवं जमीन स्तर से 17–25 मीटर गहराई पर, मुंबई मेट्रो लाइन–3 संरेखण के (जैसा की मानचित्र पर दर्शाया गया हैं) दोनों किनारों पर स्थित कुछ स्थावर संपत्तियों के नीचे से गुजर रहे हैं।

उपरोक्त क्षेत्र में किसी भी विकास/पुनर्विकास के परिणाम स्वरुप मेट्रो सुरंगों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए, मुंबई मेट्रो लाईन – 3 के भीतर (50 मीटर प्रभाव क्षेत्र में) स्थित 'संपत्ति मालिकों, मकान मालिकों, समाजों, सोसायटीस एवं असोसिएशन्स को किसी भी विकास/पुनर्विकास को शुरू करने से पहले मुंबई मेट्रो रेल कोर्पोरेशन से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य हैं। विवरण के अनुसार, ट्यूबवेल / नालें की ड्रिलिंग, कुओं की खुदाई, किसी क्षेत्र का निर्माण या विध्वंस, भू तकनिकी जांच, उत्खनन, किसी भी बुनियादी ढांचे को बिछाने सहित पुनर्विकास करने के लिए 'निदेशक' (योजना और संपत्ति विकास / एनएफबीआर), मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेश, मुंबई, को आवेदन करके अनुमति प्राप्त करनी होगी। उपरोक्त सभी जानकारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वेबसाइट (लिंक देखें : https://mmrcl.com/en/project/noc) पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल होने पर क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी।

–हस्ताक्षरित–
श्री स्वेतल कनवालू
उप महाप्रबंधक (नगर नियोजन)

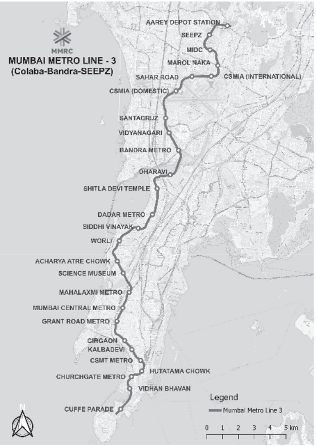

Size 12 x 8_cm_Hindi